तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11340/2002/बाड़मेर** **खेमा बनाम जमना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री एम0एल0खत्री, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अप्रार्थी।

––

निर्णय **दिनांकः14.9.2021**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर द्वारा अपील सं0 33/2000 में पारित किए गए आदेश दिनांक 17–05–2002 बउनवानी **''खेमाराम बनाम जमना व अन्य''** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी/रेस्पो0 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी/वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते कायम मुकामान रेकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी/प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31–5–2000 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–200 से व्यथित होकर प्रार्थी/वादीगण ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2002 से खारिज कर दी गई जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2002 से अप्रसन्न होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी के गुणावगुण पर सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11340/2002/बाड़मेर** **खेमा बनाम जमना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से खारिज योग्य है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 31–5–2000 को वादीगण का वाद उपसमन (अबैट) करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है, उसके साथ ही प्रथम विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को अबैट करने में कानूनी गलती की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की मृत्यु होने पर सम्पूर्ण अपील अबैट कर दी जो गलत है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार की जावें एवं प्रकरण वापस प्रतिप्रेषित किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2002 के निर्णय व डिक्री की मण्डल में निगरानी न होकर अपील होगी। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय नयायालय ने धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। इसलिए निगरानी खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया।

7– विद्वान सहायक कलक्टर मु0 बाड़मेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2000 में अंकित किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 एक ही गांव के रहने वाले हैं, आपस में सेढ़ा पड़ौसी है। मृत्यु होने पर गांव की रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार में शामिल होते हैं एवं 12 दिन चलने वाले कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। प्रतिवादी सं0 2 फौत होने के चार साल बाद कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं प्रतिवादी सं0 1 के फौत होने पर साढ़े तीन माह बाद गलत तथ्यों के आधार पर अधूरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वादीगण को प्रतिवादी सं0 2 व 1 के फौत होने की पूर्ण जानकारी थी एवं वादीगण द्वारा उक्त वाद को लम्बा करने की नियत से कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र देरी से पेश किये हैं। अतः वादीगण के सभी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाते हैं एवं इन परिस्थितियों में वाद अबैट हो जाने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11340/2002/बाड़मेर** **खेमा बनाम जमना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2002 में माना कि अपील मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत करने के कारण अपील जरिये अबैट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय में वाद को अबैट करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2000 को भी यथावत रखें जाते हैं।

8– पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर में अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश व डिक्री दिनांक 31–5–2000 सहायक कलक्टर (मु0) बाड़मेर अन्तर्गत पारित राजस्व वाद सं0 263/94 खेमा बनाम श्रीमती जमना में दावा अबैट के विरूद्ध पेश की गई है। जिसके विरूद्ध मण्डल में यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की धारा 225 के तहत अपील मण्डल में होगी न कि धारा 230 के तहत निगरानी।

9– अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

10– प्रार्थी/निगराकार सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र होगें।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य